2023 का विधेयक संख्यांक 114

[दि फार्मेसी (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023

भेषजी अधिनियम, 1948
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

नई धारा 32ग का अंत:स्थापन ।

1948 का 8

2. भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अर्हित व्यक्तियों से संबंधित विशेष उपबंध ।

"32ग. धारा 32 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 के अधीन रखे गए भेषजज्ञों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता (चिकित्सा सहायक/भेषजज्ञ) रखते हैं, को इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किए गए और रखे गए भेषजज्ञ रजिस्टर में इस शर्त के अधीन रहते हुए दर्ज किया गया समझा जाएगा कि भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त कोई आवेदन ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की जाए, किया गया है ।"। 10

2011 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम स. 53 (1955 ए.डी.)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के कारण तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों के निरसन, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत 2011 (1955 ए.डी.) है, जो राज्य में भेषजी व्यवसाय को विनियमित करता था, के रूप में हुआ । परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर भेषजी परिषद् का पुनर्गठन किया गया था और भेषजी अधिनियम, 1948 को गृह मंत्रालय के तारीख 05.10.2020 के कानूनी आदेश द्वारा भेषजी अधिनियम, 1948 में धारा 32ग पुर:स्थापित करते हुए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में अंगीकृत किया गया था । यह वर्णन करना समीचीन है कि भेषजी अधिनियम, 1948 में इसे वास्तव में कभी भी संशोधित नहीं किया गया था किंतु यह कानूनी आदेश तारीख 05.10.2020 का एक भाग बनी रही । यह धारा नीचे दिए अनुसार है :

> "32ग. जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत 2011 (1955 ए.डी.) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध - धारा 32 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 (1955 ए.डी.) के अधीन रखे गए भेषजज्ञों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है और उक्त अधिनियम के अधीन विहित जो अर्हता रखते हैं, को इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किए गए और रखे गए भेषजज्ञ रजिस्टर में इस शर्त के अधीन रहते हुए दर्ज किया गया समझा जाएगा कि 31.10.2020 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त कोई आवेदन ऐसी फीस के संदाय पर जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार प्रशासन द्वारा विहित की जाए, किया गया है ।"

2. इसी प्रकार भेषजी अधिनियम, 1948 को गृह मंत्रालय के तारीख 23.10.2020 के कानूनी आदेश द्वारा भेषजी अधिनियम, 1948 में धारा 32ग को पुर:स्थापित करते हुए लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में अंगीकृत किया गया था । यह वर्णन करना समीचीन है कि भेषजी अधिनियम, 1948 में इसे वास्तव में कभी भी संशोधित नहीं किया गया था किंतु यह कानूनी आदेश, तारीख 23.10.2020 का एक भाग बनी रही । यह धारा नीचे दिए अनुसार है :

> "32ग. जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत 2011 (1955 ए.डी.) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध - धारा 32 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 (1955 ए.डी.) के अधीन रखे गए भेषजज्ञों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है और उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता रखते हैं, को इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किए गए और रखे गए भेषजज्ञ रजिस्टर में इस शर्त के अधीन रहते हुए दर्ज किया गया समझा जाएगा कि 1 जनवरी, 2020 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त कोई आवेदन ऐसी फीस के संदाय पर, जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की जाए, किया गया है ।"

3. इस अधिसूचना ने एक अस्पष्टता सृजित कर दी क्योंकि इस बात का वर्णन नहीं किया कि क्या जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 (1955 ए.डी.) के अधीन अनुमोदित अर्हता (चिकित्सा सहायक/भेषजज्ञ) रखने वाले व्यक्ति किंतु जो पूर्व में किसी

कारण से रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सके या आवेदन नहीं कर सके, को रजिस्ट्रीकृत करने का अवसर है और क्या जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 (1955 ए.डी.) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के समय अनुमोदित अर्हता (चिकित्सा सहायक/भेषजज्ञ) प्रदान करने वाला अनुमोदित पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने उक्त अनुमोदित अर्हता (चिकित्सा सहायक/भेषजज्ञ) अर्जित कर ली है, पर रजिस्ट्रीकरण के लिए विचार किया जा सकता है । अत: भेषजी अधिनियम, 1948 में धारा 32ग का संशोधन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई । पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 32ग में निम्नलिखित अंत:स्थापन प्रस्तावित है :

"32ग. धारा 32 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, 2011 के अधीन रखे गए भेषजज्ञों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या उक्त अधिनियम के अधीन विहित अर्हता (चिकित्सा सहायक/भेषजज्ञों) रखते हैं, को इस अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन तैयार किए गए और रखे गए भेषजज्ञ रजिस्टर में इस शर्त के अधीन रहते हुए दर्ज किया गया समझा जाएगा कि भेषजी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस निमित्त कोई आवेदन ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की जाए, किया गया है ।"

उपरोक्त अंत:स्थापन ऊपर पैराओं में वर्णित अस्पष्टता को दूर करता है ।

4. प्रस्तावित परिवर्तनों पर गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है, जिसने जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा विभाग के साथ और परामर्श किया । दोनों संघ राज्यक्षेत्रों की सरकार ने उनके संबंधित विधि न्याय और संसदीय कार्य विभागों द्वारा सम्यक्त: विधिक्षित प्रारूप संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 जुलाई, 2023

डॉ0 मनसुख मांडविया